न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–422/2015 (2015/00155)223/नसीराबाद

1. **गोपाल पुत्र श्री चन्द जाति जाट**
2. **गणपत पुत्र श्री चन्द जाति जाट**
3. **गुमान उर्फ मौहब्बत पुत्र श्री चन्द जाति जाट**
4. **रणजीत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चाट तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।**

अपीलांटस

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।**

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015, वाद संख्या 10/2014 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद।

उपस्थितः–

3. श्री हीरालाल माली एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
4. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 31.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के वाद संख्या 10/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 562 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 562 मिन रकबा 0.39 है0 जिसके हाल खसरा नम्बर 1335 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1240/1356 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम चाट तहसील नसीराबाद पर वादी करीबन 100 वर्षो से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा फसल काश्त करता चला आ रहा हैं तथा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है तथा वादीगण को लगातार धारा 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्राप्त हो रहा है व लगातार शास्ति राज्य सरकार को देता आ रहा हैं। वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन की जावें तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी जावें। वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलबी हेतु नियत था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.06.2015 को बिना अपीलार्थी की मौजूदगी में एवं बिना सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.06.2015 को वाद निरस्त कर दिया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार वाद पत्र की सूचना जरिये सम्मन जवाब–दावा उपरान्त वाद पत्र में विवादित बिन्दु कायम किये जाकर तत्पश्चात् पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लेकर ही वाद पत्र का निर्णय किया जा सकता था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा कोई साक्ष्य सबूत एवं मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई, ना प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का जवाब तलब किया गया तथा ना ही विवादित भूमि के संदर्भ में जमाबंदी , राजस्व नक्शा, गिरदावरियॉ, वर्किंग जमाबंदिया प्रदशित की गई। ऐसी अवस्था में दस्तावेज जो कि वाद–पत्र से

सम्बन्धित है के बिना प्रदर्शित पढ़ा ही नही जा सकता तथा वादीगण/अपीलांर्थीगण को बिना किसी जानकारी के वादीगण का वाद निरस्त किया जाना तथा कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2015 को बिना किसी सूचना के बिना वादी/अपीलार्थी की जानकारी के एवं बिना नोटिस तामिल करवायें ही निर्णय पारित किया गये हैं जिसकी जानकारी दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त हुई तथा अपीलार्थी कृषक एवं ग्रामिण व्यक्ति हैं। जानकारी से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद अवधि में मानते हुए सुनवाई किया जाना न्यायाचित हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज हैं जिस पर अपीलांट केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त हैं इसलिए खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नही रखता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी को वास्ते साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया हैं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील का निर्णय करना उचित समझते है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पटवारी हल्का देराठू का जवाब मे विवादित आराजी वर्किंग खसरा नम्बर 562 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 562 मिन रकबा 0.39 है0 जिसके हाल खसरा नम्बर 1335 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1240/1356 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम चाट तहसील नसीराबाद जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। अपीलांट विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता हैं, जो मान्नीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद का विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए खारिज किया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं और अपील निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 24.06.2015 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर